सीबीआई ने जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा में मारे छापे

चार करोड़ के क्लेम में फर्जीवाड़ा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी के डिवीजनल मैनेजर समेत 15 पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर, 11 सितंबर फर्जीवाड़ा कर क्लेम की चार करोड़ रुपए की राशि हड़पने के मामले में सीबीआई की जबलपुर यूनिट ने जबलपुर, सतना और छिंदवाड़ा में छापेमारी की इसके साथ ही ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड सतना संभाग के डेव्लपमेट ऑफीसर, डिवीजनल मैनेजर समेत एजेंट, सर्वेयर, इन्वेस्टीगेटर समेत आठ फर्मो के प्रोपाइरट पर नाजमद एफ आई आर दर्ज कर लिया है आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया एफआईआर दर्ज होने के बाद टीम ने आरोपियों के घरों और कार्यालयों में भी छापामार कार्रवाई की इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए है

जानकारी के मुताबिक सात फर्मो के मालिकों, सर्वेक्षक, अन्वेषक और एजेंट के साथ मिलकर कथित धोखाधड़ी की तेंदूपत्ता को गोदाम में रखने वाली सात फर्मो के मालिकों ने मई 2022 में ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी की सतना ब्रांच से गोदामों का बीमा कराया प्रोपइराइट्स ने बताया कि 13 और 14 जून 2022 की रात गोदाम में आग लग गई जिस कारण वह तेंदूपत्ता जल गया, जिसका इंश्योरेंस कराया गया था. यह दावा किया गया कि आग शार्ट सर्किट से लगी मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कागजों में जांच पूरी की और उक्त सभी फर्मो को चार करोड़ रुपए की बीमा राशि का भुगतान सितम्बर 2022 में कर दिया गया मामले में जब संदेह हुआ तो जांच पड़ताल शुरू हुई जिसके बाद इस फर्जीवाड़े से पर्दा उठा.

इन पर दर्ज हुई एफआईआर

विजय कुमार मोंगिया, डेव्लपमेन्ट ऑफीसर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी सतना संभाग, आरसी परतेती, डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी सतना संभाग, श्रीचन्द्र अग्रवाल, एजेंट, निवासी सतना, सुनील गर्ग, सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इंदौर, बृजेश कुमार यादव, इन्वेस्टीगेटर, सतना, चन्द्रबलि दाहिया, प्रोपराइटर मेसर्स शॉन ट्रेडिंग सतना, सुनील कुमार पांडे, प्रोपराइटर मेसर्स एसके तेंदू लीवस, सतना, अनिल कुमार पांडे, प्रोपराइट मेसर्स अनिल कुमार पांडे, सतना, सृजन वर्मा, प्रोपराइटर मेसर्स वीके ट्रेडिंग कम्पनी, सतना, प्रशांत पांडे, प्रोपराइटर मेसर्स विंध्याचल एंटरप्राइजेज, दीपक कुमार पांडे, प्रोपराइटर मेसर्स डीके ट्रेडिंग कम्पनी सतना, रामनांद द्विवेदी, प्रोपराइरटर मेसर्स आरएन ट्रेडिंग कम्पनी, सतना, फक्कड चाम्रकार, प्रोपराइटर मेसर्स पीसी ट्रेडिंग कम्पनी सतना दो अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

कर्मचारी की एक्सीडेंट में मौत

पीले रंग के वाहन को तलाश रही पुलिस

क्राइम रिपोर्टर

भोपाल, 11 सितंबर. रातीबड़ स्थित भदभदा चौकी के पास स्कूटर सवार कलेक्ट्रेट कर्मचारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी.

गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.लोगों ने पुलिस को बताया कि टक्कर मारने वाला वाहन पीले रंग का नगर निगम का था. पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

पुलिस के मुताबिक रमेश प्रजापति (55) कृष्णाधाम कालोनी, गोरागांव रातीबड़ में रहते थे. वह कलेक्ट्रेट कार्यालय में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थे. मंगलवार की शाम करीब छह बजे रमेश ड्यूटी खत्म होने के बाद स्कूटर से घर लौट रहे थे. भदभदा चौकी के पास टर्निंग पर उन्हें पीले रंग के तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये. उन्हें मालवीय नगर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल लेकर जाने की सलाह दी. उसके बाद दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ समय चले इलाज के बाद रमेश ने दम तोड़ दिया.

पुलिस ने बाइक चोर पर कसा शिकंजा

मंडीदीप, 11 सितंबर. शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं लेकिन पुलिस भी इन पर लगातार शिकंजा कस रही है.

मंडीदीप में पुलिस द्वारा एक ऐसे ही चोर को पकड़ा है जो लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. मंडीदीप में कुछ दिनों से लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायत थाने में दर्ज हो रही थी. पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के मार्गदर्शन में एसडीओपी शीला सुराणा

अब्दुल्लागंज के नेतृत्व में थाना प्रभारी मंडीदीप द्वारा विशेष टीम गठित की गई. थाना प्रभारी सुरेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलने पर आरोपी साजिद खान उर्फ कैलाश पिता अकबर खान उम्र 30 साल निवासी ग्राम सोडरपुर गौरगंज हाल में राहुल नगर में रहता था. अपराधी के पास एक स्कूटी, एक बाइक, 40.000 रुपए नगदी लगभग ढाई लाख रुपए का माल पुलिस द्वारा बरामद किया है. आरोपी को पकड़ने में मंडीदीप प्रधान आरक्षक भारत लाल साहू .महिला प्रधान आरक्षक बिमला यादव, प्रधान आरक्षक हुकुम सिंह, प्रधान आरक्षक नितिन सिंह, आरक्षक रवि, आरक्षक सैनिक गोपाल सिंह सैनिक .संतोष शुक्ला की अहम भूमिका रही.

हबीबगंज में ठेकेदार ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

भोपाल, 11 सितंबर. हबीबगंज इलाके में रहने वाले एक ठेकेदार ने घर में फांसी लगा ली. परिजन उन्हें फंदे से उतारकर इलाज के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया. सुसाइड नोट नहीं मिलने के कारण खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक दिव्य बुधानी (54) दानापानी रोड स्थित शालीमार इन्क्लेव में रहते थे और ठेकेदारी करते थे. करीब एक सप्ताह पहले पत्नी काम से बैंगलोर चली गई थी.

भगवान सुविधनाथ का मोक्ष कल्याणक मना

पर्यूषण महापर्व पर उत्तम शौच धर्म का किया पालन

मण्डीदीप, 11 सितंबर. औद्योगिक नगर में दसलक्षण पर्व के बुधवार को श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्म के 9वे. तीर्थंकर भगवान सुविधनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया गया.

इस अवसर पर भगवान सुविधनाथ के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर निर्वाण लाड़ू भी चढ़ाया गया संत निवास में आयोजित प्रवचन के दौरान मुनि निराकुल महाराज ने कहा कि जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता का भाव ही शौच धर्म को

जाग्रत करता है.

शास्त्रों के अनुसार मानव को हमेशा ज्ञानरूपी अमृत से आत्मा के कर्म मल को दूर करते हुए स्वयं शौच गुणों से पवित्र कर अपनी आत्मा से सुख रूपी अमृत को प्राप्त करना चाहिए यदि पाप रूपी मल को धोना है तो धर्म रूपी गंगा में नहाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जो मलिनताएं हमारे भीतर हैं, उन्हें हटाना चाहिए अपने जीवन को, मन व कर्म को पवित्र बनाने के बारे में सोचना चाहिए अपने अंदर की निर्मलता का भाव ही उत्तम शौच धर्म है उन्होंने कहा कि संसार में मनुष्य लोभ के कारण ही अनेक दुखों को सहन करता है आज आत्मा की चादर तो स्वच्छ है पर वासना का धब्बा लग गया, क्योंकि आदत लेने की हो गई और देने की चली गई है ज्ञात रहे कि दिगंबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अवसर पर भगवान का अभिषेक, शांतिधारा, नित्य नियम पूजन के साथ प्रवचन, तत्वार्थ सूत्र का वाचन, प्रतिक्रमण, महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

आउटसोर्स कर्मी सीएम हाउस में सुनाएंगे व्यथा

भोपाल, 11 सितंबर. प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे 12 हजार आउटसोर्स कर्मचारी समय से वेतन न मिलने से नाराज हैं और भोपाल आने की तैयारी कर रहे हैं ये कर्मचारी अपनी व्यथा सुनाने सीएम हाउस जाएंगे, हालांकि उन्होंने भोपाल आने की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया है इसके अलावा ये कर्मचारी विभाग में रिक्त समकक्ष पदों पर अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर नियमित करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भी महीने की पहली तारीख को वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं, पर विभाग के अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें अर्द्धकुशल श्रमिक की दर से भुगतान करना था, जो नहीं हो रहा है.

रतुआ रतनपुर में पहली बार पेपरलेस वोटिंग

सरपंच पद के लिए 76 .15 फीसदी मतदान

बैरसिया, 11 सितंबर. भोपाल जिले की बैरसिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत रतुआ रतनपुर में बुधवार को सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई. सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक कुल 76.15 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले पूर्व सरपंच जयसिंह जाट की मौत हो गई थी, इसके चलते यह सीट खाली थी. इस पंचायत के 3 में से

1 बूथ पर पहली वार पेपरलेस वोटिंग हुई. रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी ने बताया कि यहां कुल 2056 मतदाता है, इनमें 76.15 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. दो प्रत्याशी सविता जाट एवं उधम सिंह के बीच मुकाबला था. 14 सितंबर को जनपद स्तर पर काउंटिंग के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी. रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने रतुआ रतनपुर पंचायत के एक बूथ को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना था.

इसके तहत कुल 26 फार्मेट को ऑनलाइन किया गया. बूथ एजेंट्स को दिए जाने वाले मतपत्र को ऑनलाइन किया गया.

कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल

प्रियदर्शिनी भवन न्यू-मार्केट टी.टी. नगर भोपाल

क्रं./फेड/बैठक/ 609/2024 दिनांक :- 10/09/2024

" वार्षिक साधारण सभा की सूचना "

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या. भोपाल की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 13 सितम्बर 2024 (शुक्रवार) को दोपहर 12:30 बजे संघ मुख्यालय ''प्रियदर्शिनी भवन'' में आयोजित की गई है। जिसकी सूचना समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को संघ के पत्र क्रमांक/फेड/बैठक/582-B/2024 भोपाल, दिनांक 29.08.2024 से प्रेषित कर दी गई है। इस सूचना के माध्यम से भी बैठक में समस्त सदस्य सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

सम्पर्क सूत्र:- 0755-2778965

सही/-
प्रबंध संचालक

कब्जा नोटिस

क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनालक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत अधिकारों के पालन में देनदार/सह-देनदार को नोटिस दी व भावी लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, कॉस्ट, चार्ज आदि भुगतान तथा/ अथवा वसूली की तिथि तक वहन किए गए सहित उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों में उक्त कथित लागू दरों पर ब्याज सहित संबंधित नामों के खिलाफ दर्शायी राशि चुकाने को देनदारों से कहा गया था.

क्र.	लोन नं.	देनदार/सह-देनदार/बंधक	13 (2) नोटिस तिथि/ बकाया राशि (रु.)	तिथि/समय व कब्जा तिथि
1.	30579420000082 30579420000205 और 30579410000152	1. श्री इन्द्र राज आत्मज रामाचे 2. श्रीमती आशा देवी पत्नी इन्द्र राज	26.6.2024 रु. 14,32,563.40 (रु. चौदह लाख बत्तीस हजार पांच सौ तिरेसठ और पैसा चालीस मात्र) 19.6.2024 को	दिनांक 10.9.2024 समय 2.50 बजे सांकेतिक कब्जा

सुरक्षित संपत्ति का विवरण- आवासीय भूखंड संख्या 329, सेक्टर-ए का वह पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट (55.76 वर्ग फीट) है तथा उस पर निर्माण कार्य भी शामिल है, खसरा संख्या 7/1 का हिस्सा, शिवशक्ति नगर, छोला रोड, वार्ड संख्या 76, तहसील हुजूर और जिला भोपाल (म.प्र.) में स्थित है. सीमा- पूर्व में- अन्य की संपत्ति, पश्चिम में- कॉलोनी रोड, उत्तर में- अन्य की संपत्ति और दक्षिण में- अन्य की संपत्ति.

जबकि यहां उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता उपरोक्त देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए ऋणी को नोटिस दिया जाता है. ऊपर विशेष रूप से और आम जनता के लिए उल्लेख किया गया है कि अधिकृत जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकारी ने सांकेतिक कब्जा ले लिया है. प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे उपर्युक्त। उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता इसमें ऊपर विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है. उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों और उक्त संपत्तियों के साथ किसी भी लेन-देन/ सुरक्षित संपत्तियां जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होंगी.

स्थान: भोपाल
दिनांक: 12.9.2024

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK

रजिस्टर्ड आफिस: द फेयरवे, ग्राउंड व प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071. ब्रांच आफिस- प्लाट नं. 131/01, ग्राउंड फ्लोर, एमपी नगर, जोन-2, भोपाल म.प्र.-462011

न्यायालय तहसीलदार, नजूल शहर वृत्त, भोपाल म.प्र.

प्र.क्र.- 0254/अ-6/2024-25
भोपाल, दिनांक../../2024

सार्वजनिक इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार जैन पिता स्व. श्री सुन्दरलाल जैन, निवासी-मकान नं. 20, कौशल्या सदन, बाग महामाई, भोपाल द्वारा भूमि खसरा क्र. 745 स्थित बाग महामाई मंदिर के पीछे स्थित का नामांतरण किए जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय मे उपस्थित होकर विज्ञप्ति / इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं. समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 2/9/2024 को जारी किया गया.

सील

तहसीलदार
नजूल शहर वृत भोपाल

युवा कांग्रेस ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की

भोपाल, 11 सितंबर. युवा कांग्रेस ने सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर हर जिले में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के चैयरमैन अभिज्ञान शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेन्द्र दर्शन सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को संपूर्ण मप्र में सोयाबीन की फसल का उचित मूल्य न देने के संबंध में प्रदेश भर में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुँच कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को वह वादा याद दिलाया जो भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों की फसलों का सही मूल्य और दुगनी आय करने का कहा था जो चुनाव खत्म होते ही केवल एक जुमला साबित हुआ.

मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

मितेंद्र सिंह ने कहा है कि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सोयाबीन के लिए लागत,आयोग द्वारा कम आंकी जाती है, जबकि भारत में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश ही सोयाबीन उत्पादन के लिए सबसे बड़े राज्य हैं.

मितेंद्र सिंह ने कहा की किसानों के हक की लड़ाई में हम उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे और अगर मुख्यमंत्री ज्ञापन के माध्यम से किसानों के बारे में संज्ञान नहीं लेते हैं तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन कर किसानों के समर्थन में सरकार की किसान विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करेगी.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड)

(CIN: L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की सेक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न देनदारों व सह देनदारों ने निम्न सिक्योर्ड लोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड से विलय व वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) से प्राप्त किए. निम्न देनदारों व सह-देनदारों के लोन उनकी संपत्तियों की गिरवी द्वारा सिक्योर्ड है. क्योंकि वे लोन एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करने में असफल रहे अत: उनके लोन को आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार एनपीए वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड से विलय व वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) को उनके द्वारा देय राशियों का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार उल्लेखित है, जो निम्न टेबल में विस्तार से दर्शाया है तथा उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा व उसे संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदा दर के अनुसार वसूला जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	देनदारों व सहदेनदारों का नाम	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	70445966	होम लोन	1. भागीरथ यादव 3. सुनील यादव	14-8-2024	रु. 3,78,524.20/-

संपत्ति का पता- आवासीय खुला भूखंड का वह टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है, यानी 84.64 वर्ग मीटर, मौजा- गांव खरगावली, तहसील बाबई, जिला होशंगाबाद में स्थित है, आबादी खसरा नंबर 327, पटवारी हल्का नंबर 25, मध्य प्रदेश-461661 में शामिल है, और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- धनराज यादव, पश्चिम- भगवान दास यादव, उत्तर- आबादी रोड, दक्षिण- जगदीश यादव

आपको इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित तिथियों से संविदा ब्याज दर व अन्य कॉस्ट, चार्ज सहित उपर्युक्त टेबल में दर्शाए विवरण अनुसार आईडीएफसीलिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड से विलय व वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) को राशि चुकाने को कहा जाता है अन्यथा अधोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड से विलय व वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड) को बकाया राशि की वसूली हेतु उपर्युक्त बंधक संपत्तियों के खिलाफ सरफेसी एक्ट की सेक्शन 13 (4) व सेक्शन 14 के तहत कार्यवाही करने को बाध्य होंगे. आपको उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (13) के तहत बिक्री/लीज या अन्यथा उक्त सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर करने से मना किया जाता है.

हस्ता. प्रा. अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड,
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड से विलय व वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड)

दिनांक- 12-9-2024
स्थान- मध्यप्रदेश

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए आवेदन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण कुलपति से निम्नलिखित अपेक्षित हैं :-

- सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति.
- एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष या प्रतिष्ठित अनुसंधान और या अकादमिक संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व का प्रदर्शन करने के प्रमाण के साथ 10 वर्ष का अनुभव.
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि पर 67 वर्ष की आयु से अधिक आयु का नहीं होना वांछनीय.

वेतन और सेवा शर्तें

- पद हेतु अन्य सामान्य भत्तों और 11250/- रुपए के विशेष भत्तों के साथ 2,10,000/- रुपए (नियत) प्रतिमाह का वेतन निर्धारित है.
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी, जो विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं संविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई हैं.

नियुक्ति हेतु प्रक्रिया

- कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के एक पैनल में से की जाएगी.
- यह विज्ञापन वेबसाइट http://www.education.gov.in और https://www.bhu.ac.in पर उपलब्ध है.

केवल ऑनलाइन आवेदन करें

उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार केवल शिक्षा मंत्रालय समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा:-
https://veree.samarth.ac.in/index.php/

- उपरोक्त लिंक दिनांक 12/9/2024, 10.00 घंटे से दिनांक 11/10/2024, 17.00 घंटे तक सक्रिय होगा.

सीबीसी-21201/11/0007/2425

स्वामी विवेकानंद ने बढ़ाया भारत का मान

शिकागो सम्मेलन के 131 वर्ष होने पर संगोष्ठी

मण्डीदीप, 11 सितंबर. स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं, जिन्होंने उस दौर में भी जब अंग्रेजों का बोलबाला था, तब विदेश में जाकर भारत का मान बढ़ाया, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया उपरोक्त बात सेवा समिति के अध्यक्ष जीवनसिंह पाल ने कही वह नगर में सामजिक संस्था सेवा समिति द्वारा स्वामी विवेकांनद के शिकागो में हुए सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने को 131 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को संगोष्ठी के दौरान बोल रहे थे. सेवा समिति के सचिव अमित जैन ने बताया कि पटेल नगर स्थित संचेतना केन्द्र पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्माकुमारी मंजू दीदी, राजेश यादव, जितेन्द्र मैना, घनश्याम गोस्वामी, अचल जैन आदि ने शिकागो सम्मेलन के बारे में बताते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्पकालीन समय में देश की संस्कृति व साहित्य को सहेजने का कार्य किया. उनके आदर्श आज अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसे रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शो की आवश्यकता है तभी हम देश को परम वैभव की ओर ले जा सकते हैं. इस दौरान सेवा समिति व स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स अकादमी के कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- 9, एम.पी. नगर, 1वीं स्ट्रीट, कोंगु नगर ई एक्सटेंशन, तिरुपुर-641 607, तमिलनाडु. दूरभाष- (0421) 2221144 कॉर्पोरेट कार्यालय- कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028, महाराष्ट्र, दूरभाष संख्या- (022) 26544000, ईमेल- mumbai@omkaraarc.com www.omkaraarc.com. CIN: U67100TZ2014PTC020363

[परिशिष्ट-IV-A] [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

ई-नीलामी की तिथि- 16 अक्टूबर 2024

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित.

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई है/भारित है, को SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और 13(4) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों के प्रयोग में बेचा जाएगा, जो 'जहां है, वहीं है' और 'जो कुछ भी है' और 'बिना किसी प्रावधान के' बकाया राशि की वसूली के लिए 16.10.2024 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय 14.10.2024 को शाम 4.00 बजे तक है) सहारा आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा. ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट (ओएआरपीएल) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एफआईसीसीएल) से अंतर्निहित सुरक्षा के साथ 26 फरवरी 2021 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से उपरोक्त उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता के खिलाफ पड़े संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है. तदनुसार, ओएआरपीएल ने मूल सुरक्षित लेनदार एफआईसीसीएल के स्थान पर कदम रखा है ऋणी और सह-ऋणी का विवरण तथा नीचे उल्लिखित ऋणी और सह-ऋणी से ओएआरपीएल को देय ब्याज और व्यय सहित बकाया राशि और अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना जमा राशि और ज्ञात भार (यदि कोई हो) निम्नानुसार है:-

ऋण खाते का विवरण	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि
1. श्रीमती अरुणा सिंह (देनदार) 2. श्री राजेश कुमार सिंह (सह-देनदार)	प्लॉट नंबर 51, स्नेह नगर, ग्राम बावड़िया कलां, वार्ड नंबर 53, होली क्रॉस गृह निर्माण सहकारी संस्था एमडीटी, सर्वे नंबर 347/1/2 और 349/2 के हिस्से में होशंगाबाद रोड, तह. हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश में मकान, जिसका प्लॉट एरिया 1950 वर्ग फीट है और पूर्व दिशा में सड़क, उत्तर दिशा में नाला, पश्चिम दिशा में प्लॉट नंबर 51 ए, दक्षिण दिशा में सड़क से घिरा है.	रु. 1,10,00,000/- (रु. एक करोड़ दस लाख मात्र)	रु. 11,00,000/- (रु. ग्यारह लाख मात्र)	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र)

बकाया राशि	10 मई 2020 तक 1,07,92,711/- प्लस भुगतान की तारीख तक भविष्य का ब्याज और व्यय और सभी बकाया राशि की वसूली। (11 मई, 2020 की मांग सूचना के अनुसार)
कब्जे की स्थिति	9 अगस्त, 2024 से ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास भौतिक कब्जा.
निरीक्षण की तिथि	10 अक्टूबर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच.
भागीदारी के लिए बोली दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समय	14 अक्टूबर, 2024 को शाम 4.00 बजे तक OARPL के शाखा कार्यालय में B-219, अंसल चैंबर 1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 पर या ई-मेल आईडी- ankur.rastogi@omkaraarc.com/ manbir.chawla@omkaraarc.com पर. इसके अलावा, आप OARPL अधिकारियों से 8218904686/99688 75743 पर संपर्क कर सकते हैं.
कोई भी भार	ज्ञात नहीं
कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए www.omkaraarc.com/ http://omkaraarc.com/auction.php या www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है. इच्छुक बोलीदाताओं को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत अनुपालन करना होगा और घोषणा देनी होगी.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 22/2020-21 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)
नाम- अंकुर रस्तोगी, पद- सहायक उपाध्यक्ष

दिनांक- 12.9.2024